

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 322 / 2022 / .....5434

दिनांक : 09/11/2023

-:: कार्यालय आदेश ::-

इस कार्यालय में पदस्थापित श्री ऋषि बालोदिया, शहरिस्तेदार ग्रेड-II को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर (हाल:-श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम) के कार्यालय आदेश 1057 दिनांकित 29.01.2018 के द्वारा शर्ट्टी कमीशन के तहत दिनांक 01.11.2012 से 31.12.2017 तक लिपिक ग्रेड-II के पद से शरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I के पदोन्नत पद पर पदोन्नति दी गई थी, जिसमें उक्त कर्मचारी का वेतन स्थिरीकरण नहीं होना पाये जाने पर श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के आदेश क्रमांक स्था0/37/2021/3577 दिनांकित 14.08.2023 के द्वारा शरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति पर वेतनस्थिरीकरण किये जाने उपरांत छठे वेतनमान में विकल्प दिनांक 01.09.2006 व 01.01.2006 के अर्न्तगत पूर्व स्वीकृत वेतनवृद्धियों को निम्न तालिका अनुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र.स. | वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक                                                              | A                                                                                                                                              |                                                                                                                          | B                                                     |                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                         | पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के तहत विकल्प दिनांक 01.09.2006 के (स्थान पर दिये गये विकल्प 16.11.2006 के) अंतर्गत स्वीकृत/संशोधित वेतनवृद्धियां | पुनरीक्षित <u>संशोधित</u> वेतनमान के नियम 2008 के तहत विकल्प दिनांक 01.01.2006 के अर्न्तगत स्वीकृत/संशोधित वेतनवृद्धियां | पूर्व में स्वीकृत मूल वेतन                            | संशोधित मूलवेतन                |
| 1.     | 01.07.2011                                                                              | 9620                                                                                                                                           | —                                                                                                                        | 9750                                                  | —                              |
| 2.     | 16-11-2011 1st ACP G.P.=2000/-                                                          | 10010                                                                                                                                          | —                                                                                                                        | 10150                                                 | —                              |
| 3.     | 01.07.2012                                                                              | 10310                                                                                                                                          | —                                                                                                                        | 10460                                                 | —                              |
| 4.     | 01.11.2012 शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I पर पदोन्नति होने पर ग्रेड-पे 2400/- | पूर्व में पदोन्नति पर वेतनस्थिरीकरण नहीं किया गया है।                                                                                          | मूलवेतन 10710/-<br>G.P.=2400                                                                                             | पूर्व में पदोन्नति पर वेतनस्थिरीकरण नहीं किया गया है। | मूलवेतन 10860/-<br>G.P.=2400   |
| 5.     | 01.07.2013                                                                              | 10620                                                                                                                                          | 11040                                                                                                                    | 11580                                                 | मूलवेतन 11590/-<br>G.P.=2800/- |
| 6.     | 01.07.2014                                                                              | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                        | 11930                                                 | 11940                          |
| 7.     | 01.07.2015                                                                              | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                        | 12290                                                 | 12300                          |
| 8.     | 01.07.2016                                                                              | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                        | 12660                                                 | 12670                          |
| 9.     | 01.07.2017                                                                              | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                        | 13040                                                 | 13050                          |

नोट:-

- उपरोक्त तालिका में कॉलम A में छठे वेतनमान के तहत पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में कर्मचारी द्वारा देय विकल्प दिनांक (01.09.2006 के स्थान पर) 16.11.2006 अनुसार पदोन्नति पर वेतनस्थिरीकरण की दिनांक 01.11.2012 से 30.06.2013 तक का ऐरियर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार कर्मचारी के जी.पी.एफ. खाते में जमा होगा।
- उपरोक्त तालिका में कॉलम B छठे वेतनमान के तहत पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान 2008 में कर्मचारी द्वारा देय विकल्प दिनांक 01.01.2006 अनुसार पदोन्नति की दिनांक 01.11.2012 को वेतनस्थिरीकरण उपरांत पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान 2008 के तहत नियमानुसार दिनांक 30.06.2013 तक की ऐरियर देय नहीं हैं तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से 31.12.2016 तक का ऐरियर देय हैं एवं उक्त अवधि में से दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 02.09.2016 तक की ऐरियर राशि जी.पी.एफ खाते में जमा होगी।
- उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।

(जांच की गई)

AAO-II

क्रमांक : स्था0 / 322 / 2022 / .....5435

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
- संबंधित न्यायालय जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय
- संबंधित कर्मचारी श्री ऋषि बालोदिया, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/कार्यालय सहायक
- सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- निजी पत्रावली
- आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश

जयपुर महानगर-द्वितीय

दिनांक : 09/11/2023

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर-द्वितीय